



**कार्यालय :-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, झोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०ब०-१०/२०१६-६९३ दिनांक :- ८/६/१८

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल/रामगढ़ वन
प्रमंडल/धनबाद वन प्रमंडल/बोकारो वन प्रमंडल/देवघर वन प्रमंडल/
गोड्हा वन प्रमंडल/राँची वन प्रमंडल/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/ सामाजिक
वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/ सामाजिक
वानिकी प्रमंडल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/ सामाजिक
वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/
सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, दुमका ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में
कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना
(अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस गैबियन वृक्षारोपण, रैखिक वृक्षारोपण एवं
गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल रु0
313.315 लाख (तीन करोड़ तेरह लाख एकतीस हजार पाँच सौ रुपये)
मात्र राशि का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०ब०-२१/२०१६-३२/स्वी० व०प० राँची,
दिनांक-०७.०९.२०१६ एवं आवंटन आदेश संख्या-०४/यो०बजट-२१/
२०१६-२० व०प० दिनांक-२६.०४.२०१८ ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-
वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष- 102-समाज तथा फार्म
वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप शीर्ष-५९-अधिसूचित वन भूमि, के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत
वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 रु0 **313.315**
लाख (तीन करोड़ तेरह लाख एकतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र मात्र का उप
आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102590103	252.195
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102590323	61.120
कुल :-		313.315

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क), 1(ख)** एवं **1(ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने—अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-**2(क), 2(ख)** एवं **2(ग)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601102590103 तथा 19S240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा, कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा तथा एतद् संबंधी—पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम संख्या—174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—10 / 2016—693 दिनांक— 8 / 6 / 18

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगना, दुमका/उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/दुमका/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/बोकारो/देवघर/दुमका/राँची/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—10 / 2016—693 दिनांक— 8 / 6 / 18

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/रामगढ़/धनबाद/बोकारो/देवघर/गोड्डा/हजारीबाग/कोडरमा/दुमका/डोरण्डा, राँची/जमशेदपुर/चाईबासा/लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य,

(राशि लाख में)


क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			272.99	69.50	342.49
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	5500	15.014	3.823	18.837
2	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	5500	15.014	3.823	18.837
3	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	5500	15.014	3.823	18.837
4	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	5500	15.014	3.823	18.837
5	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	5500	15.014	3.823	18.837
6	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	4000	10.921	2.779	13.700
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	5500	15.014	3.823	18.837
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	5500	15.014	3.823	18.837
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	6000	16.379	4.170	20.549
10	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	5675	15.493	3.943	19.436
11	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका	2000	5.460	1.390	6.850
12	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	7000	19.110	4.865	23.975
13	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	5000	13.650	3.475	17.125
14	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	4500	12.285	3.127	15.412
योग :-		72675	198.396	50.510	248.906

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत रैखिक वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य रैखिक वृक्षारोपण (किमी०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			50324.56	5368.00	55692.56
i	ii	iii	iv	v	vi
1	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	10	5.032	0.537	5.569
2	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	10	5.032	0.537	5.569
योग :-		20	10.064	1.074	11.138




प्रधान मुख्य सचिव संसदीय, विकास,
शारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			10007.94	2182.40	12190.34
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	100.00	10.008	2.182	12.190
2	साठवाठ प्रमण्डल, लातेहार	125.00	12.510	2.728	15.238
3	साठवाठ प्रमण्डल, देवघर	28.00	2.802	0.611	3.413
4	साठवाठ प्रमण्डल, दुमका	184.00	18.415	4.015	22.430
योग :—		437.00	43.735	9.536	53.271
सकल योग :—			252.195	61.120	313.315

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची




वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस —गैबियन में वृक्षारोपन

1. बाँस—गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-6"x2'-6" 2. स्पेसिंग — पंक्ति से पंक्ति की दूरी — 3 मी0

3. मजदूरी दर : रु0 237.38 प्रति मानव दिवस — पौधे से पौधे की दूरी — 8 मी0

क्र0 सं0	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे0)	मजदूरी, (रु0)	सामग्री प्रति हे0	कुल व्यय (रु0)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A) वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया.5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया.5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव		0.15	35.61	4.50	40.11
2	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)		0.50	118.69	5.00	123.69
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा योग		0.50	118.69	60.00	178.69
			1.15	272.99	69.50	342.49



प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक—

**वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : कंटीले तार से घेरान के साथ पथतट रोपण
(Multi Row with barbed wire fencing)**

स्पेसिंग पंक्ति से पंक्ति की दूरी—3 मी०
पौधे से पौधे की दूरी—3 मी०

मजदूरी दर : रु० 237.38 प्रति मानव दिवस

प्रति कि०मी० पौधों की संख्या—2000 पौधे

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	vi	v	vii
ग वित्तीय वर्ष 2018–19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	एक कोड़नी—निकौनी	प्रति कि०मी०	28.00	6646.64	0.00	6646.64
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि०मी०	0.00	0.00	1368.00	1368.00
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि०मी०	180.00	42728.40	0.00	42728.40
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (लगभग 10 प्रतिशत मृत पौधों का प्रतिस्थापन)	200 पौधा	4.00	949.52	4000.00	4949.52
	योग :-		212.00	50324.56	5368.00	55692.56

अनुलग्नक—

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे०

योजना का नाम— अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

मजदूरी दर : रु० 237.38 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A) वित्तीय वर्ष 2018–19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे०	23.00	5459.74	0.00	5459.74
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	हे०	12.16	2886.54	0.00	2886.54
	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)					
4	गड़दा घेरान की मरम्मत	हे०	4.00	949.52	0.00	949.52
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	712.14	290.00	1002.14
	योग :-		42.16	10007.94	2182.40	12190.34

प्रधान मुख्य उन संस्करण विकास,
झारखण्ड, राँची



द्वारा सरकार

आवंटन आदेशझारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं।

पत्र संख्या - 01/YB-10/2016/693

दिनांक -

08-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102590103	33220	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,501,400.00 रुपये पंद्रह लाख एक हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601102590103	33221	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	1,501,400.00 रुपये पंद्रह लाख एक हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601102590103	33222	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	1,501,400.00 रुपये पंद्रह लाख एक हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
				4,504,200.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये पैंतालीस लाख चार हजार दो सौ

(SHRI SATNAM SINGH)


PCCF,DIVISIONAL FOREST OFFICER,RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33223	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	2,004,600.00 रुपये बीस लाख चार हजार छ: सौ
5	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33224	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	2,004,600.00 रुपये बीस लाख चार हजार छ: सौ
6	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33225	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	1,092,100.00 रुपये दस लाख बयानवे हजार एक सौ
<hr/>				
योगः				
क्रमिक योगः				
5,101,300.00				
9,605,500.00				
 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF,DBD(MANGALS)RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102590103	33226	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA	1,000,800.00 रुपये दस लाख आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601102590103	33227	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	1,501,400.00 रुपये पंद्रह लाख एक हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
9	S 19 240601102590103	33228	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	1,501,400.00 रुपये पंद्रह लाख एक हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
योग:				4,003,600.00
क्रमिक योग:				13,609,100.00
रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख नौ हजार एक सौ				
 (SHRI SATNAM SINGH)				
PCCF,DBADHANKHARS)RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33229	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	1,918,100.00 रुपये उन्नीस लाख अठारह हजार एक सौ
11	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33230	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	3,390,800.00 रुपये तैतीस लाख नब्बे हजार आठ सौ
12	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33231	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	1,251,000.00 रुपये बारह लाख इकावन हजार
<hr/>				
योग:				6,559,900.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड़ एक लाख उनहतर हजार			20,169,000.00
<hr/>				
 (SHRI SATNAM SINGH)				
PCCF,D(BADHNKHANDS)RANCHI				
Page 4 of 11	164,100,150,21	Run Date:	8/6/2018	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33232	DMKFOR004 SRI KALI KINKER D.F.O.W.F.P.DUMKA	546,000.00 रुपये पॉच लाख छयालीस हजार
14	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33233	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	1,911,000.00 रुपये उन्नीस लाख ग्यारह हजार
15	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33234	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	1,365,000.00 रुपये तेरह लाख पैसठ हजार
<hr/>				
योग:				3,822,000.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड उनचालीस लाख इनकानवे हजार			23,991,000.00
<hr/>				
 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF,DIVISIONAL OFFICER(RANCHI)				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33235	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK रुपये बारह लाख अठाइस हजार पौंच सौ D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	1,228,500.00
17	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33236	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO.GIRIDIH EAST FOR.DIV.	382,300.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार तीन सौ
18	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33237	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	382,300.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार तीन सौ
<hr/>				
योग:				1,993,100.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड उनसठ लाख चौरासी हजार एक सौ			25,984,100.00
			 (SHRI SATNAM SINGH)	
			PCCF,D(BADMARKHANS)RANCHI	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601102590323	33238	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	382,300.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार तीन सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
20	S 19 240601102590323	33239	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	436,000.00 रुपये चार लाख छठ्ठीस हजार
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
21	S 19 240601102590323	33240	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	436,000.00 रुपये चार लाख छठ्ठीस हजार
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
				1,254,300.00
योग:				27,238,400.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड बहतर लाख अड्डीस हजार चार सौ			
			(SHRI SATNAM SINGH)	
		PCCF,D(BADHARKAANS)RANCHI		
Page 7 of 11	164,100,150.21	Run Date:	8/6/2018	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601102590323	33241	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	277,900.00 रुपये दो लाख सित्योत्तर हजार नौ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
23	S 19 240601102590323	33242	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	218,200.00 रुपये दो लाख अठारह हजार दो सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
24	S 19 240601102590323	33243	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	382,300.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार तीन सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

योगः

क्रमिक योगः

रुपये दो करोड इक्कासी लाख सोलह हजार आठ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

878,400.00

28,116,800.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33244	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	382,300.00 रुपये तीन लाख बयारी हजार तीन सौ
26	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33245	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	478,100.00 रुपये चार लाख अठहत्तर हजार एक सौ
27	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33246	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	795,800.00 रुपये सात लाख पिनवानवे हजार आठ सौ
योग:				1,656,200.00
क्रमिक योग:				29,773,000.00
 (SHRI SATNAM SINGH)				
PCCF,D(BADHNKHAJIS)RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 240601102590323	33247	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	272,800.00 रुपये दो लाख बहतर हजार आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
29	S 19 240601102590323	33248	DMKFOR004 SRI KALI KINKER D.F.O.W.F.P.DUMKA	139,000.00 रुपये एक लाख उनचालीस हजार
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
30	S 19 240601102590323	33249	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	486,500.00 रुपये चार लाख छियारी हजार पाँच सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
				898,300.00
योग:				30,671,300.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड छ: लाख इकहत्तर हजार तीन सौ			
			 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF,DBADANKHANS(RANCHI)	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 240601102590323	33250	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	347,500.00 रुपये तीन लाख सैतातीस हजार पौच सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
32	S 19 240601102590323	33251	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	312,700.00 रुपये तीन लाख बारह हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
<hr/>				660,200.00
योगः				31,331,500.00
क्रमिक योगः	रुपये तीन करोड तेरह लाख इकतीस हजार पौच सौ			
				 (SHRI SATNAM SINGH)
				PCCF,DBADHARKHAND,RANCHI
Page 11 of 11	164,100,150,21		Run Date:	8/6/2018